संख्या– [illegible] / 78–2–2011–11आई.टी. / 2001

प्रेषक,

चन्द्र प्रकाश
प्रमुख सचिव
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 08 फरवरी, 2011

विषयः कम्प्यूटर के एप्लीकेशन साफ्टवेयर कय् / विकास प्रकिया का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कम्प्यूटर के एप्लीकेशन साफ्टवेयर कय् / विकास प्रकिया के निर्धारण संबंधी शासनादेश संख्या 1518 / 78आई.टी.–2–2002 दिनांक 16.08.2002 एवं सहपठित शासनादेश संख्या 137 / 78–2–2006आई.टी. / 2001 दिनांक 19.01.2006 जिसमें उ0प्र0 डेवलपमेंट सिस्टम्स कारपोरेशन लि0, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0, तथा श्रीट्रान इंडिया लि0 को उपरोक्त कार्य हेतु अधिकृत किया गया था। वर्तमान परिवेश में कार्य प्रकृति में विस्तार होने के कारण उपरोक्त शासनादेश के स्कोप आफ वर्क में वृद्धि करते हुए विभिन्न प्रकार की आई0टी0, आई0सी0टी0, ई–गवर्नेन्स योजनाओं को टर्न– की / BOO/BOOT माडल पर भी कियान्वित किये जाने का प्राविधान किया गया तद्नुसार पूर्व में जारी शासनादेश में टर्न की / BOO/BOOT माडल को भी सम्मिलित करते हुए शासनादेश संख्या–1342 / 78–2–2010–11आई.टी. / 2001 दिनांक 22.09.2010 निर्गत किया गया।

2. उपमहानिदेशक, एनआईसी एवं निक्सी द्वारा अनुरोध किया गया कि उनकी एप्लीकेशन साफ्टवेयर दक्षताओं के आधार पर उन्हें उक्त शासनादेश दिनांकः 22.9.2010 में सम्मिलित कर लिया जाये। सम्यक विचारोपरान्त लिये गए निर्णय के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एनआईसी / निक्सी के अनुरोध पर नेशनल इंफार्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) / नेशनल इंफार्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक (निक्सी) को भी उक्त शासनादेशों के प्राविधानों में सम्मिलित करते हुए टर्न की / BOO/BOOT माडल पर कार्य हेतु अधिकृत किया जाता है।

3. उक्त के संबंध में निर्गत शासनादेश सख्या–83 / 78–2–2011–11 आई0टी0 / 2001 दिनांक 20.1.2011 अवकमित किया जाता है। शासनादेश सख्या–1518 / 78आई.टी.–2–2002 दिनांक 16.08.2002, सहपठित शासनादेश संख्या 137 / 78–2–2006–11आई.टी. / 2001 दिनांक 19.01.2006 एवं 1342 / 78–2–2010–11आई.टी. / 2001 दिनांक 22.09.2010 उक्त सीमा तक संशोधित माने जायेंगे, शेष शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

भवदीय,

(चन्द्र प्रकाश)
प्रमुख सचिव

कमशः..२..

संख्या-२०५ (1)/78-2-2011-11आई.टी./2001तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 शासन।
3. प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, निकायों, परिषदों एवं स्वायत्तशासी निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 शासन।
5. प्रबंध निदेशक, यूपीडेस्को/यूपीएलसी, लखनऊ।
6. प्रबंध निदेशक, अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0/श्रीट्रान इंडिया लि0।
7. प्रबंध निदेशक, नेशनल इन्फारमेटिक्स सेंटर सर्विसज़ इनकार्पोरेशन (निक्सी), नई दिल्ली।
8. उपमहानिदेशक, एनआईसी, योजना भवन, लखनऊ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0सी0 गुप्ता)
विशेष सचिव।